न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :— श्री अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

नं. मु. 31/2023 दायरा दिनांकः—

संतोष पत्नि हनुमानाराम जाति जाट निवासी परावा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

वादी

बनाम

1. किसनाराम पुत्र घीसाराम जाति जाट निवासी परावा तहसील बीदासर जिला चूरू
2. छगना पुत्र घीसाराम जाट निवासी परावा तहसील बीदासर जिला चूरू
3. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पारेवड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुजानगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक
5. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

संयुक्त खातेदारी भूमि के विभाजन का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत

उपस्थित :— 1. श्री ज्ञानाराम एडवोकेट — वकील वादी

2. पेरोकार राज

—: निर्णय :— दिनांक :— 6-11-25

प्रस्तुत वाद के संक्षेप तथ्य में इस प्रकार है कि :— वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी का खेत ग्राम परावा में खसरा संख्या 286 तादादी 7.5752 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा वं प्रतिवादीगण 1 ता 2 प्रत्येक के 1/4 हिस्सा व दोनों का मिलाकर 1/2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। वादी की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के रहन है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के रहन है। वादगत भूमि का पारिवारिक मौखिक समझौता अनुसार लगभग 15 वर्ष पूर्व से विभाजन किया हुवा हैं जिसके अनुसार पश्चिमी तरफ की 1/2 हिस्सा भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा पूर्वी तरफ की 1/2 हिस्सा भूमि पर कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का चला आ रहा है। बीच में तारबंदी की सींध बनी हुई है। वादी व प्रतिवादीगण अलग—अलग परिवारों में निवास करते है। परन्तु खातेदारी राजस्व रिकार्ड में भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने के कारण वादी को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में काफी कठिनाईयां आ रही है। इसलिये वादी वादगत खेत में पश्चिमी साईड की 1/2 हिस्सा भूमि का खाता अलग करवाकर लगान का विभाजन करवाना चाहती है। जिस हेतु वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण दिनांक 17.07.2023 को साफ इंकार हो गये यही वाद का हेतुक है। राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार होने से धारा 80 सी पी सी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 5 को पक्षकार संयोजित किया गया है। वादगत खेत रोही परावा में होने से न्यायालय को क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर व अवधि भीतर पेश है। आदि आदि अंकित कर वादगत खेत का विभाजन कर वादगत खेत के पश्चिमी साईड की 1/2 हिस्सा भूमि का खाता वादी के नाम अलग करने का निवेदन किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया परन्तु प्रतिवादीगण बावजूद तामील न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा राजस्थान सरकार ने अपने जबाब में राजहित निहित नहीं होना अंकित किया है। बयान वादी लिये गये तथा पत्रावली में शामिल दस्तावेजों को प्रदर्श किया गया बहस वकील वादी की सुनी गई जिसमें दावे में अंकित तथ्यों के आधार पर विभाजन किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गई तथा तहसीलदार बीदासर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली के संपूर्ण विवेचन से रोही ग्राम परावा के खेत खसरा संख्या 286 तादादी 7.5752 हैक्टेयर का विभाजन कर पश्चिमी साईड की 1/2 हिस्सा यानि 3.7876 हैक्टेयर भूमि का अलग खसरा व लगान कायम कर संतोष पत्नी हनुमानाराम जांति जाट निवासी परावा के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने योग्य है तथा वाद वादी अंतिम डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वाद इस प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है कि रोही ग्राम परावा के खसरा संख्या 286 तादादी 7.5752 हैक्टेयर मे से पश्चिमी साईड की 3.7876 हैक्टेयर भूमि विभाजित कर अलग खसरा व लगान कायम कर खातेदारी संतोष पत्नी हनुमानाराम जाति जाट निवासी परावा के नाम दर्ज की जावे तथा नक्शा मे तरमीम कर अलग नक्शा जारी हों। शेष खसरा भूमि अन्य सह खातेदार किसनाराम व छगना के नाम रकबा अनुसार रखी जावे। तहसीलदार बीदासर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। निर्णय आज दिनांक 6-1-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)
बीदासर

अन्तिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास श्री अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

संतोष बनाम किशनाराम आदि

दावा बाबत :– कृषि भूमि का विभाजन।

मुकदमा न. 31 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु

हाजरी श्री ज्ञानाराम वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई व पेरोकार राज मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव अनुसार इस प्रकार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि रोही ग्राम परावा के खसरा संख्या 286 तादादी 7.5752 हैक्टेयर में सें पश्चिमी साईड की तादादी 3.7876 हैक्टेयर भूमि संतोष पत्नि हनुमानाराम जाति जाट निवासी परावा के अलग खातेदारी में दर्ज कर अलग से लगान कायम किया जावे तथा शेष बची पूर्व साईड की तादादी 3.7876 हैक्टेयर भूमि अन्य सह खातेदारान के नाम रखी जावे। नक्शा में तरमीम की जावे। विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। उपरोक्तानुसार अलग–अलग खातेदारी दर्ज कर अलग–अलग लगान कायम करने व नक्शा में तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। खर्चा मुकदमा वादी स्वंय वहन करें। अन्तिम डिक्री की पालना बाबत तहसीलदार बीदासर को अलग से लिखा जावे।

चीज .... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की

तारीख से तारीख वसूलमाबी तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 6/11/25

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा बीदासर (चूरू)

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)